# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

**पीठासीन अधिकारी :– श्री हिम्मत सिंह**

वाद सं. 41/2019

**उनवान**

1 सूजीदेवी उर्फ सरजू देवी पत्नी श्री भैरूलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम फतेहपुरा (बांसा), तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

**वादीया**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
2. ओकार पुत्र हीरालाल
3. जगदीश पुत्र हीरालाल
4. बाबूलाल पुत्र हीरालाल
5. बिदामीदेवी पत्नी बाबूलाल
6. भैरू पुत्र हीरालाल
7. मन्नी देवी पत्नी औकारमल
8. हनुमान पुत्र हीरालाल
   समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम फतेहपुरा (बांसा), तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. सींडीकेट बैंक शाखा फतेहपुरा (बांसा) तहसील चौमू, जिला जयपुर।

**प्रतिवादीगण**

**वाद बाबतघोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती**
**अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकार अधिनियम**

निर्णय दिनांकः–18.12.2019

व.फ.उपस्थित। वादीया का वाद इस आशय का है कि वादीया ग्राम फतेहपुरा, पटवार हल्का फतेहपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर की रहने वाली महिला है तथा अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होकर खातेदारी भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रही है। वाके ग्राम फतेहपुरा, पटवार हल्का फतेहपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि नया खाता संख्या 227 मं वर्णित खसरा नम्बर 509 कुल किता 1 का कुल रकबा 1.40 हैक्टेयर तथा आराजी भूमि खाता संख्या 387 में वर्णित खसरा नम्बर 963, 965, 968, 970, 971, 972, 973 कुल किता 7 का कुल रकबा 1.36 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादीया का राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हिस्सा निहित है। वादीया का नाम उक्त वर्णित आराजीयात नया खाता संख्या 227, 387 में वर्णित भूमियों को उक्त भूमि के पूर्व खातेदार हनुमान पुत्र श्री हीरालाल जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम फतेहपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर से जरिये विक्रय पत्र दिनांकित 17.10.2013 खरीद किया था, जिस विक्रय पत्र का पंजीयन श्रीमान उपपंजीयक चौमू के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 492 में पृष्ठ संख्या 33 क्रम संख्या 2013011233 पर पंजिबद्ध 1747 के पृष्ठ संख्या 209 से 2018 पर चस्पा किया गया है। जिस विक्रय पत्र में वादीया

Scanned by CamScanner

का सहवन से बोलचाल का नमा सूजीदेवी पत्नी भैरूलाल शर्मा लिखा गया था, जिसके आधार पर नामान्तरण दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में भी वादीया का नाम सूजीदेवी पत्नी भैरूलाल चला आ रहा है, जो तत्समय राजस्व कर्मचारियों ने बचपन के घरेलू नाम से ही विक्रय पत्र पंजीबद्ध हुआ एवं उसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया गया। चूंकि वादीया व उसके परिवारजन ग्रामीण परिवेश के काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो राजस्व रिकॉर्ड के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे तत्समय जो नाम परिवार में प्रचलित होता था उसी के आधार पर विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा लिया गया और विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारी खातेदारी का अंकिन कर दिया गया। जबकि वादीया के दस्तावेज, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, ग्राम पंचायत फतेहपुरा का प्रमाण पत्र में वादीया का नाम सरजूदेवी दर्ज है तथा आमजन में सूजीदेवी पत्नी भैंरूलाल शर्मा को ही सरजूदेवी पत्नी भैरूलाल शर्मा के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाता है। अतः उक्त सूजीदेवी पत्नी भैरूलाल व सरजूदेवी पत्नी भैरूलाल एक ही महिला के नाम है जिस कारण सूजीदेवी उर्फ सरजूदेवी पत्नी भैंरूलाल नाम राजस्व रिक्रॅाउ में अंकित किया जाना न्यायोचित है जिसका एक प्रमाण पत्र रिनांक 17.05.2019 को ग्राम पंचायत फतेहपुरा के सरपंच महोदय द्वारा जारी किया गया है। इस वाद पत्र में वादीया ने जरिये विक्रय पत्र दिनांकित 17.10.2013 को उक्त भूमि के पूर्व खातेदार हनुमान पुत्र हीरालाल को भी प्रतिवादी संख्या 8 खातेदार बनाया गया है। वादीया का नाम सूजीदेवी उर्फ सरजूदेवी हैं तथा समाज व परिवार में भी इसी नाम से जाना जाता है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश सूजीदेवी पत्नी भैरूलाल नाम दर्ज हो गया, जिससे वादीया को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है तथा सरकारी विभागों में नाम की भिन्नता होने से पहचान भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है तथा अपनी राजस्व भूमि के रिकॉर्ड में वादीया का नाम सूजीदेवी पत्नी भैंरूलाल होने से ऋण लेने में भी परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा राजस्थान सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा किसानों के लिए प्रचलित योजनाओं का लाभ भी वादीया नहीं उठा पा रही है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

वादीया ने अपने वाद में अनुतोष चाहा है कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात् नया खाता संख्या 227, 387 के राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम सूजीदेवी पत्नी भैरूलाल के स्थान पर सूजीदेवी उर्फ सरजूदेवी पत्नी भैरूलाल की घोषणा की जावे तथा तदुनसार इन्द्राजता दुरूस्ती की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावें कि वादीया का नाम उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें।

Scanned by CamScanner

वादीया का वाद पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वकील प्रतिवादी संख्या 2, 4 लगा0 8 उपस्थित तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 9 बावजूद तलबी अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 2, 4 ता 8 की ओर से सहमति का जवाब दावा पेश किया गया। वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता वादी ने वादीया का वाद स्वीकार किया जाने हेतु निवेदन किया है। जिसकी अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने सहमति दी है।

अतः वादीया का प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है कि खाता संख्या वाके ग्राम फतेहपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर के खाता संख्या 227, 387 के राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम सूजीदेवी पत्नी भैरूलाल के स्थान पर सूजीदेवी उर्फ सरजूदेवी पत्नी भैरूलाल की घोषणा की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें तथा तहसीलदार चौमू को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Scanned by CamScanner

# अन्तिम डिक्री मुकददमा इब्तदाई

**(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास हिम्मत सिंह आरएएस

**उनवान**

1 सूजीदेवी उर्फ सरजू देवी पत्नी श्री भैरूलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम फतेहपुरा (बांसा), तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

**वादीया**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
2. ओकार पुत्र हीरालाल
3. जगदीश पुत्र हीरालाल
4. बाबूलाल पुत्र हीरालाल
5. बिदामीदेवी पत्नी बाबूलाल
6. भैरू पुत्र हीरालाल
7. मन्नी देवी पत्नी औकारमल
8. हनुमान पुत्र हीरालाल
   समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम फतेहपुरा (बांसा), तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. सींडीकेट बैंक शाखा फतेहपुरा (बांसा) तहसील चौमू, जिला जयपुर।

**प्रतिवादीगण**

**वाद बाबतघोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती**
**अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकार अधिनियम**

मुकदमा नं0 41/2019

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीया का प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है कि खाता संख्या वाके ग्राम फतेहपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर के खाता संख्या 227, 387 के राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम सूजीदेवी पत्नी भैरूलाल के स्थान पर सूजीदेवी उर्फ सरजूदेवी पत्नी भैरूलाल की घोषणा की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें तथा तहसीलदार चौमू को पालना हेतु लिखा जावे।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 18.12.2019 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत ........
ओहदा..........

| मुदई | रूपये | पैसे | मुदाईला | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 2 | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | 1 | | स्टाम्प वकालत नामा | 1 | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहन | | |
| खर्चा गवाहन | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | 3 | | मीजान | 1 | |

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.01.05 12:42:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: